629

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP86882877241619X

e-Stamp

O.A No. 48/22, 30/2022

ACC Name HARI KISHAN
ACC Code UP14099804
Licence No.

Certificate No.	:	IN-UP86882877241619X
Certificate Issued Date	:	10-Oct-2025 11:26 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14099804/ GHAZIABAD SADAR/ UP-GZB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14099804710878233340231X
Purchased by	:	AFSAR ALI
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	AFSAR ALI
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	AFSAR ALI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते

418/22

Please write or type below this line

NOTARIAL

NOTARY
Suresh Km. Sharma
Advocate
Regd. No. 13378
Exp. 2027
Ghaziabad
GOVT. OF INDIA

Ld. R.G.
13.10.2025
com.(2)

NOTARY
Suresh Km. Sharma
Advocate
Regd. No. 13378
Exp. 2027
Ghaziabad
GOVT. OF INDIA

राष्ट्रीय हरित अधिकरण
National Green Tribunal
प्रधान न्यायपीठ / Principal Bench
नई दिल्ली / New Delhi
13 OCT 2025 4665
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issue Section
डायरी सं. / Diary No. 4665
हस्ताक्षर / Signature

4629/25
14/10/25

OA-48/2022
14/10

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

630

शपथ पत्र (AFFIDAVIT)

मैं, अफसर अली पुत्र प्यार मोहम्मद निवासी मकान नं 88, वार्ड नंबर 5, खारी कुआँ, डासना, थाना वेव सिटी, जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), विधिवत शपथपूर्वक यह कथन करता हूं कि–

1. कि मैं उपरोक्त वाद मूल आवेदन संख्या 48/2022/ OA.No. 30/2022 (Filing No. 070110901166/2022) शीर्षक: अफसर अली बनाम राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य का आवेदक (Applicant) हूं, जो कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), प्रधान पीठ, नई दिल्ली में लंबित है। उक्त वाद की रजिस्ट्री तिथि 01 अगस्त 2022 है और अब तक कुल 19 सुनवाईयाँ हो चुकी हैं।

2. कि यह वाद नगर पंचायत डासना, जिला गाजियाबाद के अंतर्गत स्थित खसरा संख्या 2076, 2077 एवं 2078 से संबंधित है, जो सरकारी तालाब (सरकारी भूमि) के रूप में दर्ज है।

3. कि उक्त तालाब की साफ-सफाई, सौंदर्यकरण, कब्जा मुक्त कराना एवं पानी की निकासी को लेकर यह मामला माननीय NGT के समक्ष विचाराधीन है।

4. कि पूर्व में तत्कालीन उपजिलाधिकारी (सदर) श्री विनय कुमार सिंह द्वारा 22 व्यक्तियों को नोटिस जारी कर तालाब पर किए गए अवैध कब्जों को हटवाया गया था।
पुलिस बल, नगर पंचायत डासना एवं तहसील प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही में तालाब को कब्जा मुक्त कराया गया था।

5. कि इसके बावजूद नगर पंचायत डासना की मिलीभगत से पुनः अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। तालाब के चारों ओर बनाए गए नाले में कुछ अवैध घरों को जानबूझकर छोड़ा गया है, और जो अवैध निर्माण तोड़े गए थे, उन्हें अब तक तालाब क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है।

6. कि यह प्रतीत होता है कि यह सब एक सुनियोजित मिलीभगत से किया जा रहा है, जिससे भविष्य में उक्त भूमि पर पुनः कब्जा हो सके।

7. कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB), गाजियाबाद द्वारा भी इस प्रकरण में ₹2 करोड़ 45 लाख एवं ₹23 लाख 69 हज़ार का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया जा चुका है।
फिर भी क्षेत्र का गंदा पानी अभी भी PWD नाले में छोड़ा जा रहा है।

8. कि कमिश्नरेट एडवोकेट एस. ए. ज़ैदी द्वारा स्थल निरीक्षण में यह पाया गया था कि तालाब के चारों ओर हजारों पौधे लगाए गए थे, जो वर्तमान में तालाब स्थल पर मौजूद नहीं हैं।

9. कि तालाब की दो बार पैमाइश की गई थी जिसमें संबंधित लेखपाल अनुपम मिश्रा एवं नगर पंचायत के लिपिक दिनेश कौशिक द्वारा मुझे फोन कर बुलाया गया था।

NOTARY
Suresh Km. Sharma
Advocate
Regd. No. 13378
Exp. 2027
Ghaziabad
GOVT. OF INDIA

Afsar Ali

631

पैमाइश के दौरान उन्होंने तालाब की वास्तविक सीमाएँ बताईं, परंतु बाद में नाले का निर्माण इस प्रकार किया गया कि तालाब के भीतर से एक मार्ग निकालकर बाहरी खेत की ओर अतिरिक्त भूमि छोड़ दी गई।

10. कि इस अनियमित निर्माण के कारण तालाब का जलभराव बढ़ गया है, क्षेत्रीय जलस्तर गिर रहा है, और पर्यावरणीय संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

11. कि मैं शपथपूर्वक यह निवेदन करता हूं कि माननीय न्यायालय एवं सक्षम अधिकारीगण इस प्रकरण में कड़ी कार्रवाई करें, तालाब का सौंदर्यकरण एवं पुनः बहाली कार्य शीघ्र कराएँ, तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

12. कि मैं, अफसर अली, संविधान के अनुच्छेद 51A (g) के अंतर्गत पर्यावरण की रक्षा करने के अपने नागरिक कर्तव्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हूं और इस तालाब के संरक्षण हेतु अपने स्तर पर निरंतर प्रयासरत हूं।

अतः, मैं यह शपथपूर्वक घोषित करता हूं कि उपरोक्त कथन मेरे स्वयं के ज्ञान, विश्वास एवं अभिलेखों पर आधारित हैं और सत्य हैं। इनमें से कोई भी तथ्य असत्य नहीं है।

NOTARY
Suresh Km. Sharma
Advocate
Regd. No. 13378
Exp. 2027
Ghaziabad
GOVT. OF INDIA

स्थान: गाजियाबाद
तारीख: 10 / 10/ 2025

शपथकर्ता:
(अफसर अली)
(आवेदक, No. 38/2022/ OA. no. 30/2022)
मोबाइल: 9990200332
पता: मकान नं 88, वार्ड नंबर 5, खारी कुआँ, डासना, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश,

सत्यापन:
मैं, अफसर अली, यह सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र में लिखे गए सभी तथ्य मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और इनमें कोई मिथ्या नहीं है।
स्थान: गाजियाबाद
तारीख: 10 /10 / 2025

हस्ताक्षर: 10/10/2025

ATTESTED
Suresh Km. Sharma
Advocate
NOTARY PUBLIC
INDIA-No-13378
EXP-2027
10.10.25